



Ref. No. 675

Date 26/11/22

कार्यालय आदेश

22 नवम्बर 2022 को Digital Electronic Lab में प्रयोगशाला कार्य हेतु एकत्र हुए छात्रों एवं एक प्रयोगशाला सहायक के समक्ष श्री रितुराज कुमार (Reg. No.-20105129049) को तीन छात्रों, श्री हिमांशु कुमार (Reg. No.-20105129048), श्री सागर संगम (Reg. No.-20110129010), एवं श्री अंकित आनन्द (Reg. No.-20110129032) द्वारा बर्बतापूर्ण ढंग से मारने के आलोक में अनुशासनिक समिति की अनुशंसा पर तीनों दोषी छात्रों को आदेश निर्गत होने की तारीख से तीन माह के लिए महाविद्यालय से निष्कासित/Rusticate किया जाता है।

उपरोक्त निर्णय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा जारी Disciplinary Rules: Memo No.-Vi Pra(II)-Baithak-15/2010 2634 Patna/Dated 27-10-2011 में वर्णित धाराएँ 3(iv, ix, xviii एवं xix) के तहत लिया गया।

ह0/-

प्राचार्या

कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय,
कटिहार

ज्ञापांक- 675

दिनांक- 26/11/22

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित-

1. कुलपति/निबंधक, A.K.U, Patna
2. निदेशक, वि0 एवं प्रा0 विभाग, बिहार सरकार, पटना,
3. जिला पदाधिकारी, कटिहार,
4. पुलिस अधिक्षक, कटिहार
5. परीक्षा नियंत्रक, के0ई0सी, कटिहार,
6. एकेडिमिक इन्चार्ज, के0ई0सी, कटिहार,
7. बर्सर, के0ई0सी, कटिहार,
8. प्रधान लिपिक, के0ई0सी, कटिहार,
9. सभी संबंधित छात्र, के0ई0सी, कटिहार,
10. सभी सदस्य, अनुशासनिक समिति, के0ई0सी, कटिहार,
11. सूचना पट्ट, के0ई0सी, कटिहार,
12. वेबसाइट इन्चार्ज, के0ई0सी, कटिहार।

Ranjana
26/11/22
प्राचार्या

कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय,
कटिहार